Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें निदेशालय

Most Urgent/Personal Attention

सेवा में

सभी खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक (By Name)
हरियाणा राज्य में।

यादि कमांक पैन0–3–2022/ 18423
दिनांक 31/10/2022.

विषयः– **विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पैंशन/NPS केसों का तत्परता से समयबद्ध तरीके से निपटान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर मुख्यालय के पत्र यादि कमांक पैन–3–2022/470 दिनांक 07.01.2022 के सन्दर्भ में।

2. उक्त पत्र के सम्बंध में देखने में आया है कि मुख्यालय द्वारा जारी हिदायतों की दृड़ता से पालना नहीं हो रही क्योंकि सभी जिला नियंत्रकों से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के बे–बाकी प्रमाण पत्र मुख्यालय की सभी शाखाओं से प्राप्त न करके केवल पैंशन शाखा को ही लिख रहें है कि सभी शाखाओं से बे–बाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करके भेजें। जबकि मुख्यालय की सभी शाखाओं की ई0मेल आई0डी0 आपके कार्यालय में उपलब्ध है। उन शाखाओं से सम्पर्क न करके पैंशन शाखा से बे–बाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करनें हेतु अनुरोध कर रहें है जबकि मुख्यालय के पत्र यादि कमांक पैन–3–2022/470 दिनांक 07.01.2022 द्वारा सभी जिला नियंत्रकों तथा मुख्यालय की सभी शाखाओं को निर्देश दिये गये थे कि भविष्य में यानि वर्ष 2022 से ही बतौर Pension Sanction Authority आपके अधीनस्थ में सेवानिवृत होने वाले श्रेणी II, III और IV के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के सभी सुत्रों से बे–बाकी प्रमाण पत्र अपने स्तर पर प्राप्त करके सेवानिवृति लाभ जारी करना सुनिश्चित करेंगें। इससे जिला कार्यालय व पैंशन शाखा का समय अनावश्यक तौर पर व्यर्थ हो रहा है और सेवानिवृति देय लाभों बारे अनावश्यक रूप से देरी हो रही है।

3. उक्त के सम्बंध में आपको पुनः अवगत करवाया जाता है कि मुख्यालय के पत्र यादि कमांक पैन–3–2022/470 दिनांक 07.01.2022 द्वारा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के पैंशन केसों को HCS (Pension) Rules, 2016 में दिए गए प्रावधान अनुसार समयबद्ध तरीके से तत्परता से निपटाने तथा सेवानिवृतियों की Gratuity, Commutation of Pension तथा Leave-encashment जारी करवाते समय HCS (Pension) Rules, 2016 के नियम 80, 81 व 108 तथा HCS (Leave) Rules, 2016 के नियम–69 व 70 को मध्यनजर रखने बारे हिदायतें सख्त पालना हेतु जारी की गई हैं। इन हिदायतों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मामले में आपके स्तर पर की गई देरी/लापरवाही की वजह से यदि विभाग द्वारा सेवानिवृति को ब्याज की अदायगी करनी पडेगी तो उसके लिए HCS (Pension) Rules, 2016 के नियम–79 (4) के तहत आप ही स्वयं जिम्मेवार होंगे।

4. अतः आपको मुख्यालय की सभी शाखाओं की ई0मेल आई0डी0 भेजकर पुनः निर्देश दिये जाते है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बंध में लम्बित बे–बाकी प्रमाण पत्र सम्बंधित जिलों/मुख्यालय की सम्बंधित शाखाओं से लम्बित शाखाओं के नाम पत्र में लिखकर तथा पत्र उनकी आई0डी0 पर भेजकर अपने स्तर पर सीधे प्राप्त करके अधिकारियों/कर्मचारियों का पैंशन केस अपने स्तर पर महालेखाकार, हरियाणा को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसलिए आपको मुख्यालय की सभी शाखाओं की ई0मेल आई0डी निम्न प्रकार से हैः–

E-mail IDs of All Branches at Headquarter.

Sr. No	Name of Branch	E-mail IDs of the Branch
1	Esstt.-I	foodesti@gmail.com estt1.fcsca-hry@gov.in
2	Esstt-A/c	foodestac@gmail.com esttac.fcsca-hry@gov.in
3	Esstt.-III	foodestiii3@gmail.com estt3.fcsca-hry@gov.in
4	Procurement	foodproc2@gmail.com proc.fcsca-hry@gov.in
5	Food General	foodgenb@gmail.com foodgenb@hry.nic.in
6	Storage	foodstorage2@gmail.com foodstorage@hry.nic.in
7	Supplies	foodsupply23@gmail.com

Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें निदेशालय

8	Shortage/Recovery	foodshortage4@gmail.com shortage.fcsca-hry@gov.in
9	Inspection/Lab	labfood08@gmail.com
10	Pension	foodpension@gmail.com foodpension@hry.nic.in
11	RTI	rti.food@gmail.com
12	Mandi Performa	somp.food@gmail.com
13	Brick-Kilan	foodbrick@gmail.com
14	Legal Cell	fsdlegal@gmail.com

E-mail IDs of Officers Headquarter.

Sr. No	Designation of the Officer/Name of the Branch	E-mail IDs of the Branches
1	Joint Controller Food Accounts (Accounts Organization Branch, Audit Branch, SOFA Branch, Compilation and Summarize Branch.)	jcfa.food@gmail.com jc.fcsca-hry@gov.in
2	Assistant Controller food Account (Account Organization Branch, Audit Branch, SOFA Branch, Compilation and Summarize Branch.)	acfa2.fcsca-hry@gov.in
3	DDO, Hqrs.	ddo.food@gmail.com

31-10-22.
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक(पैंशन)
कृते: निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामलें विभाग हरियाणा।

पृ0 कमांक पैन–3–2022/ 18424 **दिनांक** 31/10/2022.

उपरोक्त की एक प्रति सभी शाखा अधिकारी/इन्चार्ज, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि रिटायर होने वाले अधिकारी/कर्मचारी बारे अपनी शाखा का बे–बाकी प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को समय पर सीधे तौर पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मामले में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सम्बंधित शाखा व जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगें।

31-10-22.
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक(पैंशन)
कृते: निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामलें विभाग हरियाणा।

पृ0 कमांक पैन–3–2022/ 18425 **दिनांक** 31/10/2022

उपरोक्त की एक प्रति प्रधान महा–लेखाकार (ले0 एवं ह0), हरियाणा (PEN-8), सैक्टर–33 बी, चण्डीगढ को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

31-10-22
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक(पैंशन)
कृते: निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामलें विभाग हरियाणा।

CC:

SEO(HQ.)for uploading this letter on the departmental website.

प्रेषक 31/10/2022
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
हरियाणा, चण्डीगढ